## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 552 / 2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1 मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ओसवाल निवासी रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर। | | 1 तहसीलदार बाटाडू। |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री खेताराम जाखड़, वकील प्रार्थी पक्ष।

## आदेश

दिनांक 14/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556 / 463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556 / 463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि तरमीम ऑनलाईन करते समय राजस्व अधिकारियों से मौके के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस में ऑनलाईन तरमीम करते समय मौके व कब्जा काश्त के विपरीत कर दी गई। प्रार्थी मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556 / 463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित कर दी गई, जो तरमीम प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556 / 463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाटाडू से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू [illegible] अपने पत्रांक भू.अ. / 2023 / 99 दिनांक 03.10.2023 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि [illegible]जा [illegible]गाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के [illegible] 556 / 463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मौका जांच अनु[illegible] रजिस्ट्री की नकल [illegible]लिपि पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11.08.2003 बही स–I दिल्द संख्या XIII पेज संख्या 143 क्र. सं. 91 / 03 पर दर्ज के अनुसार विक्रेता गुमना जेठा पिसरान हीरा कौम जाट से 04.00 बीघा भूमी प्रार्थी ने खरीद की थी, जिसका नामान्तकरण ग्राम रूगाणियों का तला में

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:32 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण संख्या 52 भरा जाकर स्वीकृत हुआ। नामान्तकरण संख्या 52 की पुश्त तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी मांगीलाल वगैराह द्वारा क्रय की गई भूमि का नक्शा जिसमे खसरा संख्या 463/13 पुराना लाल स्याही से अंकन अंकित है। पटवारी हल्का से नक्शा लठ्ठा ट्रेस की प्रतिलिपि ली गई जिसमे नामान्तकरण संख्या 52 की पुश्त पर जो नक्शा अंकित है उसी अनुसार तरमीम अंकित है। साथ ही डीएलआरएमपी योजनान्तर्गत नक्शा को ऑनलाईन करने हेतु जिला कार्यालय द्वारा सम्बन्धित हल्का पटवारी भीमड़ा को जो मूल खसरों की शीट दी गई थी, जिसमे नक्शा लठ्ठा ट्रेस के अनुसार जो तरमीम पूर्व में की गई थी वो उस शीट में तरमीम अंकित कर तहसील/जिला कार्यालय में जमा करवाई गई जिसके अनुसार ही डीएलआरएमपी योजनान्तर्गत ऑनलाईन तरमीम की जानी थी। पटवारी हल्का भीमडा द्वारा शीट की जो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई उसके अनुसार ही प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 556/463 रकबा 06.472 हैक्टयेर की तरमीम भी नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार ही अंकित की गई थी एवं मौके पर वक्त मौका जांच कब्जा भी प्रार्थी द्वारा मौके पर चीणों के टुकड़े रोपकर कब्जा (जबसे जमीन खरीदी थी दिनांक 11.08.2003 से ही कब्जा विक्रेतागण द्वारा दिया गया था उसी जगत चीणों के टूकड़े रोपकर दीवार की हुई है, परन्तु नक्शा ऑनलाईन दर्ज करते वक्त नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम मौके पर विक्रेतागण द्वारा जो कब्जा दिया गया था क्रेता को उससे भिन्न स्थिति में तरमीम ऑनलाईन में अंकित की गई है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में जो नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम है एवं परिशिष्ठ 'अ' में वर्तमान तरमीम दुरूस्त की जाती है एवं परिशिष्ठ 'ब' में अंकित तरमीम में खसरा संख्या 570/463 व 571/463 जिनका कब्जा मौके पर उपस्थिति लोगों द्वारा बताये अनुसार वर्तमान में जो ऑनलाईन नक्शे में प्रदर्शित है के अनुसार नही होकर संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार प्रस्तावित है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556/463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शों, बेचान पत्र, का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडु ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है [illegible] पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम [illegible] हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556/463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 556/463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 556/463 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

आदेश आज दिनांक 14/01/25 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:32 IST
Reason: SelfAttested